


उपकरण सं ५१/दावा/२०२०

सिंहलाल खन्ना कल्याण

२७/४/२०२० जावकीपेश! वकील वादी को काकाज दिलार्थ
गई। न्यायालय समम मे कइ कार काकाज दिलौने
के उपरान्त भी इस उपकरण मे कोर्ट भी उपाधित नही
हुई। अतः वाद वादो कइस हजारी कइस पैरवी.

मे खारीज किया जाता है।

मिसल फिसल शुमार की जावे! व तम्हसे
काम की जावे।


उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना